दिनांक 07.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 09/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–फर्जी कम्पनी बनाकर अधिक मुनाफे का प्रलोभन देकर उसमें निवेश कराकर ठगी करने करने वाले सरगना सहित 02 व्यक्ति 02 लाख रूपये की नकदी के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 07–09–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को फर्जी कम्पनी बनाकर मुनाफे का प्रलोभन देकर पैसा जमा कराकर ठगी करने वाले गैंग के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार, सहारनपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 383/2025 धारा 61(2)ए/111/318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस में वांछित 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1–शक्ति सिंह पुत्र राजकुमार निवासी 162/2 गणेशपुरी थाना बृम्हापुरी मेरठ हाल पता प्लैट न0–610 ली ग्रान्ड ग्रान्ड कालोनी निकट साप्रिक्स माल थाना परतापुर, मेरठ। **(सरगना)**

2–मंजीत गौर पुत्र धवल सिंह निवासी मौहल्ला माधवपुरम् बृम्हापुरी मेरठ मूल पता ग्राम सीकरी थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगीः–

1– 2,00,000/– रूपये नकद

2– 01 अदद एप्पल का लैपटाप मैकबुक

3– 04 अदद मोबाइल फोन एक आईफोन, व 02 अदद सैमसंग, 01 वनप्लस।

4– 05 चेकबुक विभिन्न बैकों की।

5– 05 अदद चैक भरे हुये

6– 07 डेविड कार्ड

7– 05 आधार कार्ड

8– 02 पैन कार्ड

9– 01 अदद डीएल।

10– 01 नेक्सान कार न0–यूपी–15बीजेड 7074

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

दिनांक 07–09–2025 समय 02.30 बजे दिल्ली सहारनपुर रोड छिदवना मोड़ थाना क्षेत्र सदरबाजार जिला सहारनपुर उ0प्र0।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को फर्जी कम्पनी बनाकर मुनाफे का लालच देकर लोगो से निवेश कराकर ठगी करने वाले गैंग के सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हो रही थी, इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त निर्देश के क्रम में श्री राकेष, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 07–09–2025 को उ0नि0 स0पु0 लाल सिंह, मु0आ0 बृजराज सिंह, मु0आ0 विवेक कुमार सिंह, मु0आ0 बल्देव सिंह, मु0आ0 अंकित गुप्ता की टीम सहारनपुर में भ्रमणषील थी। इसी दौरान सूचना मिली कि अधिक मुनाफा के नाम पर निवेश कराकर ठगी करने वाले गैंग के 02 सदस्य दिल्ली सहारनपुर रोड पर छिदवना मोड़ के पास खडे है। उक्त सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर उपरोक्त 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछतॉछ पर बताया कि मेरठ व आस–पास के जनपदों व सीमावर्ती राज्यों में धन दोगुना करने एवं डालर में निवेश कराने का प्रलोभन देकर व्यक्तियों से पैसे लेकर अपने द्वारा संचालित फर्जी कम्पनी में पोंजी स्कीम के नाम पर निवेश कराकर ठगी करते थे। इनके द्वारा अलग–अलग समय में 04 (1-s.b.lifeaid retail private limited, 2-E.N.Z.O. GLOBEL, 3-TRADYX.PRO, 4- winner vision globel) फर्जी कम्पनी बनायी गयी थी। उपरोक्त कम्पनियों में लगभग पांच हजार से अधिक लोगों की आई0डी0 बनाकर निवेश के नाम पर ठगी की गयी है। इनके द्वारा एजेन्ट बनाकर उनको अधिक पैसे का लालच देकर लोगों से निवेष कराने का काम करते थे। इस कार्य में अनिल निवासी इदरीशपुर थाना दोघट, राजकुमार निवासी मेरठ एवं मंजीत गौर निवासी मेरठ मुख्य रूप से सहयोगी है।

अभियुक्तों मु0अ0सं0 383/2025 धारा61(2)ए/111/318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस थाना सदरबाजार जिला सहारनपुर में दाखिल किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एस0टी0एफ0–उत्तर प्रदेश, बिहार, पं0 बंगाल, गुजरात आदि राज्यों में 2000 से अधिक व्यक्तियों को आधार कार्ड बनाने का फर्जी सॉफ्टवेयर बेचकर ठगी करने वाला व्यक्ति जनपद बरेली से गिरफ्तार।

दिनांक 06–09–23025 को उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात समेत विभिन्न राज्यों के 2000 से ज्यादा व्यक्तियों को आधार कार्ड बनाने का फर्जी सॉफ्टवेयर बेचकर ठगी करने वाले अभियुक्त को जनपद बरेली से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम–

जयवीर गंगवार पुत्र मेवाराम निवासी ए–315–3 राजेन्द्र नगर , थाना प्रेमनगर जनपद बरेली।

बरामदगी–

1– 01 अदद लैपटॉप।

2– 01 अदद मोबाइल

3– 02 अदद कूटरचित आधार कार्ड

4– 04 अदद एटीएम कम डेबिट कार्ड

गिरफ्तारी का स्थान व समय–

सुभाष नगर पुलिया से बरेली जंक्शन जाने वाला मार्ग, थाना सुभाष नगर जनपद बरेली । समय– 20.28 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आधार कार्ड बनाने का फर्जी सॉफ्टवेयर बिक्री करने वाले व्यक्तियों के बारे में सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाइयों को अभिसूचना संकलन व कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री अब्दुल कादिर, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई बरेली के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 अजीत कुमार के नेतृत्व में मु0आ0 अरूण कुमार, मु0आ0 सुनित कुमार, मु0आ0 कुशांक व आ0 संजय यादव की टीम भ्रमणषील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि जयवीर गंगवार नाम के व्यक्ति द्वारा आधार कार्ड बनाने का फर्जी सॉफ्टवेयर बेचकर ठगी किया जाता है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा दिनांक 06–09–2025 को अभियुक्त जयवीर गंगवार उपरोक्त को थाना सुभाष नगर जनपद बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त जयवीर उपरोक्त ने बताया कि उसने कम्प्यूटर साइंस से बीटेक किया है। उसने नोएडा में आई0टी0 कम्पनी में कार्य करता था, जहां से उसने आधार कार्ड बनाने का फर्जी सॉफ्टवेयर तैयार करके ठगी करने का प्लान सोचा और कम्पनी छोडकर घर आ गया। जहॉ पर आधार कार्ड बनाने का फर्जी साफ्टवेयर तैयार किया। जिसे बेचने हेतु फेसबुक व व्हाट्सएप ग्रुपों में विज्ञापन शेयर करने लगा। जिससे उसके पास उक्त फर्जी सॉफ्टवेयर खरीदने हेतु व्यक्तियों के फोन आने लगे। जयवीर उपरोक्त एनीडेस्क के माध्यम से उक्त फर्जी सॉफ्टवेयर खरीदने वाले व्यक्ति के कम्प्यूटर में इन्सटॉल कर देता था व उक्त सॉफ्टवेयर के प्रयोग हेतु आई0डी0 पासवर्ड भी देता था। जिससे कि लोगों को ऐसा प्रतीत हो कि यह असली साफ्टवेयर है। उक्त फर्जी सॉफ्टवेयर के एवज में प्रति व्यक्ति से 1000–1500/– रूपये लेता था। जिन व्यक्तियों द्वारा उक्त फर्जी साफ्टवेयर को खरीदा जाता था, उनके कम्प्यूटर में यह साफ्टवेयर खुलता नहीं था, तो उनके द्वारा इसे फोन किया जाता था तब यह अलग–अलग बहाने बताकर और पैसो की मॉग करता रहता था तथा बाद में अपना मोबाइल बन्द कर लेता था। इस प्रकार इसके उक्त फर्जी सॉफ्टवेयर अभी तक उत्तर प्रदेश, बिहार, पष्चिम बंगाल, गुजरात आदि राज्यों के 2,000 से ज्यादा व्यक्तियों को बेचा है। सॉफ्टवेयर का कार्य वह पिछले लगभग 02 वर्ष से कर रहा है।

अग्रिम जयवीर उपरोक्त के विरूद्ध थाना सुभाष नगर जनपद बरेली में मु0अ0सं0 613/2025 धारा 318(3), 336(3) ,337]340(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना सुभाष नगर जनपद बरेली द्वारा की जायेगी ।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गुडम्बा

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 07.09.2025 को थाना गुडम्बा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर स्कार्पियो क्लब के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–मो0 नसीम 2–मो0 याकूब उर्फ घपलू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जो थाना गुडम्बा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 नसीम निवासी ग्राम बेहटा थाना गुडम्बा कमिश्नरेट लखनऊ।

2–मो0 याकूब उर्फ घपलू निवासी ग्राम बेहटा थाना गुडम्बा कमिश्नरेट लखनऊ।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना कविनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **पीली धातु के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 06.09.2025 को थाना कविनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुखर्जी पार्क चौराहा, विवेकानन्द फ्लाई ओवर के पास से चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो मोटर साइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–दिनेश घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–जोगेन्द्र उर्फ जौली 3–अरूण कुमार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से पीली धातु के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.08.2025 को थाना कविनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कविनगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना कविनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दिनेश निवासी ग्राम सातलपुर थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।

2–जोगेन्द्र उर्फ जौली निवासी देहला नगला थाना डिडौली जनपद अमरोहा।

3–अरूण कुमार निवासी ग्राम मंजीतपुरा थाना डिडौली जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–पीली धातु के आभूषण।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

———————